"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2002—श्रावण 11, शक 1924

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक 198/एचई/आरबी/एचआरसी/एसए/02.—चूंकि श्री जस्टिस (सेवानिवृत्त) कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के पद से त्यागपत्र दे दिया है.

श्री जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल का छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के पद से दिया गया त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है.

मैं, दिनेश नन्दन सहाय, राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा मुझमें निहित शक्ति के आधार पर श्री के. ए. जैकब, सदस्य, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के नये अध्यक्ष की नियुक्ति तक अध्यक्ष का कार्य करने हेतु अधिकृत करता हूं.

हस्ता./-
(दिनेश नन्दन सहाय)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़.

Raipur, the 2nd August 2002

NOTIFICATION

No. 198/HE/RB/HRC/SA/02.—Whereas Sri Justice (Retired) Krishna Murari Agarwal, Chairman, Chhattisgarh Human Rights Commission has tendered his resignation. The resignation submitted by Sri Justice (Retired) Krishna Murari Agarwal is hereby accepted with immediate effect.

By virtue of the power vested in me by Sub-section 1 of Section 25 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (No. 10 of 1994) I, Dinesh Nandan Sahaya, Governor of Chhattisgarh hereby authorise Sri K. A. Jacob, Member, Chhattisgarh Human Rights Commission to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson.

Sd/-
(DINESH NANDAN SAHAYA)
Governor, Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.